पत्रांक–06/वि० 09–80/2022..........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक : ....

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार द्वारा निर्गत विभिन्न स्वीकृत्यादेशों के आलोक में राजकीय, राजकीयकृत, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों, प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक में नामांकित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1,32,40,15,000/– (एक अरब बत्तीस करोड़ चालीस लाख पंद्रह हजार रूपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

द्वाराः– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न स्वीकृत्यादेशों के आलोक में राजकीय, राजकीयकृत, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों, प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक में नामांकित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कुल राशि 1,32,40,15,000 /–(एक अरब बत्तीस करोड़ चालीस लाख पंद्रह हजार रूपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अंकनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजनान्र्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न स्वीकृत्यादेशों के आलोक में राजकीय, राजकीयकृत, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों, प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक में नामांकित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विमुक्तियादेश संख्या–1655 दिनांक–04.09.2025 द्वारा कुल राशि 1,24,83,57,000/– (एक अरब चौबीस करोड़ तिरासी लाख सत्तावन हजार रूपये) एवं विमुक्तियादेश संख्या–2151 दिनांक–09.12.2025 द्वारा कुल राशि 1,21,05,28,000/– (एक अरब इक्कीस करोड़ पाँच लाख अठाईस हजार रूपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. राज्य योजना मद से बिहार के 38 जिलों के अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के द्वारा वर्ग 1 से 10 तक के विभिन्न कोटि के छात्र–छात्राओं के लिए निम्नवत् स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कॉलम 8 में अंकित विभिन्न कक्षाओं के छात्र–छात्राओं के लिए यह राशि विमुक्त किया जा रहा है :–

क्र०	स्वी०सं० / दि०	विषय शीर्ष	विषय शीर्ष विवरणी	लघु शीर्ष	विपत्र कोड	प्रस्तावित आवंटन (लाख में)	कक्षा
1	2	3	4	5	6	7	8
i	254/ 23.12.25	0101.31.06	सहायक अनुदान –गैर वेतन	197 ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	44–2225011970101	2486.75	वर्ग 1 से 8 तक मुसहर/भुईयां को छोड़कर अनुसूचित जाति
ii	255/ 23.12.25	0101.31.06	सहायक अनुदान –गैर वेतन	198 ग्राम पंचायतों को सहायता	44–2225011980101	5656.00	वर्ग 1 से 8 तक मुसहर/भुईयां को छोड़कर अनुसूचित जाति
iii	256/ 23.12.25	0107.34.01	छात्रवृत्ति/ वजीफा	277 शिक्षा	44–2225012770107	3516.45	वर्ग 1 से 8 तक मुसहर/भुईयां को छोड़कर अनुसूचित जाति
iv	257/ 23.12.25	0101.31.06	सहायक अनुदान –गैर वेतन	197 ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	44–2225021970101	237.30	वर्ग 1 से 8 तक अनुसूचित जनजाति
v	258/ 23.12.25	0101.31.06	सहायक अनुदान –गैर वेतन	198 ग्राम पंचायतों को सहायता	44–2225021980101	725.55	वर्ग 1 से 8 तक अनुसूचित जनजाति
vi	259/ 23.12.25	0101.34.01	छात्रवृत्ति/ वजीफा	277 शिक्षा	44–2225022770101	132.30	वर्ग 1 से 8 तक अनुसूचित जनजाति
vii	260/ 23.12.25	0101.31.06	सहायक अनुदान –गैर वेतन	198 ग्राम पंचायतों को सहायता	44–2225011980101	443.45	वर्ग 1 से 6 तक अनुसूचित जाति के केवल मुसहर/भुईयॉ
viii	261/ 23.12.25	0107.34.01	छात्रवृत्ति/ वजीफा	277 शिक्षा	44–2225012770107	42.35	वर्ग 1 से 6 तक अनुसूचित जाति के केवल मुसहर/भुईयॉ
						कुल :–13240.15	

(एक अरब बत्तीस करोड़ चालीस लाख पंद्रह हजार रूपये)

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विभिन्न स्वीकृत्यादेश के आलोक में स्वीकृत राशि की विमुक्ति प्रदान की गई है।

5. उपरोक्त कंडिका–2 के क्र०सं० I से VIII में वर्णित राशि को संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र पर निकासी करते हुए HDFC बैंक, मौर्या लोक, पटना के खाता नाम–CHHATRAVRITI YOJANA SC-ST, CLASS 1 TO 8, खाता संख्या–50100326875391, IFSC कोड– HDFC0006223 में राशि का अंतरण किया जाएगा।

6. अनु०जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–05निदे०/प्री–मैट्रिक (द०नि०)–10–01/2025 अनु० 635 दिनांक 03.02.2026 के आलोक में प्रति छात्र निर्धारित दर के आधार पर छात्रवृति की राशि का भुगतान किया जाएगा।

7. विभागीय पत्रांक 18/प्र०–06–01/2017 (II)–37 दिनांक 18.01.2022 एवं 53 दिनांक 24.01.2022 (आंशिक संशोधित) में उल्लेखित दिशा–निर्देशों के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा द्वारा लाभुकों की सूची अनुमोदनोंपरान्त लाभुकों के बैंक खाता में डी०बी०टी० के माध्यम से राशि का भुगतान किया जायेगा।

8. अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्रा०शि०), शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि को बिहार कोषागार संहिता–2011 के BTC–43 पर तथा सहायक अनुदान की राशि BTC–42 पर निकासी की गयी राशि का समुचित एवं नियमानुसार निकासी एवं व्यय हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रुप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2026 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रुप में नहीं रखा जाय।

9. छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग को भेजेगें। सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

10. जिला पदाधिकारी छात्रवृत्ति वितरण का अनुश्रवण करेंगे कि लाभान्वित होने वाले छात्र/छात्राओं को बैंक खाता के माध्यम से राशि का अन्तरण किया जा रहा है।

11. वित्तीय वर्ष 2025–26 में विमुक्ति की जाने वाली राशि का अंतरण इस योजना अंतर्गत प्राप्त उदव्यय एवं उपलब्ध बजटीय उपबंधित राशि से किया जायेगा।

12. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।

13. राशि के व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या 12888 दिनांक 03.12.2024 के 5 'ख' के (ii) में निहित के आलोक में प्रदान की जाती है। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन अन्य किसी मद में नहीं किया जाएगा।

14. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. विमुक्ति आदेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 06/वि० 09–80/2022 के पृष्ठ 66/टि० पर दिनांक 27.02.2026 को प्राप्त है।

16. विमुक्ति आदेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 06/वि० 09–80/2022 .... पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 06/वि० 09–80/2022 ..635... पटना, दिनांक..06/03/2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग, बिहार/निदेशक (मा0 शि0), शिक्षा विभाग/निदेशक (प्रा0 शि0), शिक्षा विभाग/संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्रा०शि०), शिक्षा विभाग/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05, शिक्षा विभाग एवं लेखा शाखा, शिक्षा विभाग (दो प्रति में)/वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, पटना/शाखा प्रबंधक, HDFC बैंक, Ground Floor Shop No. 2a and 2b Part, Santosha Complex, Mouryalok, Patna /CFMS के नोडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/A.C./D.C कोषांग, शिक्षा विभाग/ डी०बी०टी० कोषांग, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.3.26
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।